न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–07/2021 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये प्रिया गंगवानी प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

सहीराम पुत्र श्री सुरजाराम निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी गैर हाजिर।

–:निर्णयः– दिनांकः–03.07.2024

स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.10.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय हाजा घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग व कालाबाजारी रोकने के लिए नजदीक बस स्टैण्ड रावतसर स्थित एक दुकान मैसर्स शर्मा मिष्ठान भण्डार पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में उपस्थित फर्म के मालिक श्री सहीराम पुत्र श्री सुरजाराम को मिष्ठान निर्माण गोदाम का निरीक्षण करने हेतु कहा गया। तलाशी के दौरान गोदाम में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर व 1 व्यवसायिक उपयोग का सिलेण्डर पाये गये। उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से गैस पाइप लाइन के जरिये जुड़े पाये गये व 1 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। मौके पर मिठाई बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर जो कि भारत गैस कम्पनी के है, को मौके पर ही जब्त कर श्री जलन्धर सिंह पुत्र श्री मुख्त्यार सिंह निवासी रावतसर हाल कार्यकर्ता गोदारा गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार श्री सहीराम पुत्र श्री सुरजाराम निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमायें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 17.02.2021 को नोटिस जारी होने के बाद विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। दिनांक 16.03.2021 को प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश कर अंकित किया गया कि रावतसर के मुख्य बस स्टेण्ड के सामने शर्मा मिष्ठान भण्डार के नाम से मेरी एक दुकान है। दिपावली के पर्व से कुछ समय पूर्व प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा औचक निरीक्षण करने पर मेरी दुकान से 3 घरेलू तथा 2 व्यवसायिक सिलेण्डर मिले, जिनमें से घरेलू गैस सिलेण्डर को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त कर लिये गए थे। श्रीमान जी मेरी दुकान में चाय एवं मिठाई बगैरा बनाने के लिए व्यवसायिक सिलेण्डर ही काम में लिये जाते है तथा जो अन्य 3 घरेलू सिलेण्डर मिले है वह मेरे घर के सिलेण्डर थे जो मैंने गैस भरवाने के लिए दुकान में रखे थे उनमें से एक सिलेण्डर तो मैंने गैस भरवा लिया था, जो सिल बंद ही था तथा एक अन्य सिलेण्डर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

बिल्कुल खाली था जिसमें गैस भरवाना शेष था तथा जो तीसरा घरेलू गैस सिलेण्डर था वह मेरी दुकान में नहीं मिला जबकि वह दुकान में काम करने वाले हलवाईयों के रहने के कमरे में मिला जिस पर हलवाई अपना खाना बना रहे थे। प्रवर्तन निरीक्षक हनुमानगढ़ द्वारा उक्त तीनों सिलेण्डर जब्त कर लिये थे जो मेरे व्यवसायिक सिलेण्डर न होकर घरेलू सिलेण्डर थे। श्रीमान जी द्वारा जारी किए गए नोटिस में 3 घरेलू तथा 1 व्यवसायिक सिलेण्डर जब्त करने का लिखा गया है जबकि मेरी दुकान से व्यवसायिक सिलेण्डर को जब्त नहीं किया गया है। केवल 3 घरेलू सिलेण्डर को ही जब्त किये गए है और जो घरेलू सिलेण्डर जब्त किए गए है वह मेरे घर के सिलेण्डर भरवाने के लिए तथा मेरी दुकान में काम करने वाले हलवाईयों के रहने के कमरे में खाना वगैरा बनाने के काम में आने वाले सिलेण्डर ही थे। श्रीमान जी से निवेदन है कि आप मेरे घरेलू सिलेण्डर वापिस दिलवाते हुए उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा होटल से 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 2 को कार्यरत हालत में पकड़ा गया है जो कि घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक रूप में अवैध उपयोग है जिससे सिद्ध होता है कि उक्त होटल पर ही घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा तीनो घरेलू सिलेण्डरों को होटल पर रखना व उपयोग में लेना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही विचाराधीन प्रकरण में कोई ऐसे साक्ष्य पेश किये जिससे घरेलू गैस सिलण्डरों का निजी उपयोग साबित हो। इस प्रकार अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर उक्त तीनों सिलेण्डरों को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कानाराम)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़